



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 अप्रैल 2015—चैत्र 14, शक 1937

लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2015

क्र. एफ 1-37-2011-स्था-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग अभियांत्रिकी तथा वास्तुकला (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

#### नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग अभियांत्रिकी तथा वास्तुकला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 है.

(2) ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं**.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार;

(ख) “आयोग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ङ) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना देखिए क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(च) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

- (छ) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ज) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (झ) “सेवा” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग अभियांत्रिकी तथा वास्तुकला (राजपत्रित) सेवा;
- (ञ) “राज्य” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर, अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों पर मूल रूप से नियुक्त किए गए हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों;
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा की जाएगी, अर्थात् :—

- (क) लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, साक्षात्कार या प्रतियोगी परीक्षा द्वारा या दोनों द्वारा;
- (ख) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
- (ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) अथवा (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, जिन्हें सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, आयोग के परामर्श से, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यदि सरकार की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित किए जाएं.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, सरकार द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.—चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) आयु.—

(क) न्यूनतम और अधिकतम आयु की सीमाएं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होगी. आयु की संगणना विज्ञापन की तारीख से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को की जाएगी.

(ख) उच्चतर आयु सीमा नीचे दिये अनुसार शिथिलनीय होगी :—

(एक) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस निमित्त, समय-समय पर जारी परिपत्र के अनुसार शासन, निगम मण्डल स्वशासी संस्थाओं, परियोजना क्रियान्वयन समितियों के कार्यरत कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा;

(दो) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के नियम 8 के उपबंधों के अनुसार राज्य के अधिवासी हैं, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस निमित्त, समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा;

(तीन) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार मध्यप्रदेश की उन महिला अभ्यर्थियों को जो राज्य की अधिवासी हैं, शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा;

(चार) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा :—

(क) विधवा/निराश्रित महिला/तलाकशुदा महिला;

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग;

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक;

(घ) विक्रम पुरस्कारधारी;

(ङ) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरुस्कृत सवर्ण पति-पत्नी;

(च) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्रवर्ग.

**टिप्पणी.**—(1) किसी भी प्रवर्ग के लिए समस्त शिथिलीकरण सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा, किसी भी दशा में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियत 45 वर्ष की उच्चतर आयु सीमा से अधिक नहीं होगी.

(2) उच्चतर आयु सीमा की संगणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12/1/3/दिनांक 3-11-2012 और 20-11-2012 के अनुसार होगी.

- (2) **शैक्षणिक अर्हताएं**—अभ्यर्थियों के पास, अनुसूची-तीन के कॉलम (5) के अधीन विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.

परन्तु —

- (क) आयोग आपवादिक मामलों में, सरकार के परामर्श से, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए पात्र ठहराता हो.;
- (ख) आयोग अपने विवेकानुसार चयन के लिए ऐसे उम्मीदवारों पर भी विचार कर सकेगा जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हो, जो सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हो.

- (3) **फीस**—अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

#### 4. आरक्षण.—

- (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण :—

- (एक) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए आदेशों के अनुसार, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (दो) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय होगा, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे. यह आरक्षण होरीजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटवाइज रहेगा.
- (तीन) निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण निःशक्त व्यक्तियों को इस निमित्त प्रवृत्त नियमों के अनुसार दिया जाएगा.

9. **निरर्हता**—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई व्यक्ति जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु अपील लम्बित रहने के दौरान न्यायालय के अन्तिम विनिश्चय तक उसकी नियुक्ति स्थगित रखी जाएगी.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा**—चयन/परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, आयोग द्वारा साक्षात्कार/परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

11. सीधी भर्ती :— (क) प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार अथवा दोनों द्वारा सीधी भर्ती :

- (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करें.
- (2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जायेगी, जो कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर जारी करे.
- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों को, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.
- (6) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (8) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (9) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकें तो शेष रिक्तियां सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और उन्हें उस प्रवर्ग जिसके लिये पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिये किसी भी रीति से अनारक्षित नहीं किया जायेगा.

12. आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—(1) आयोग उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि आयोग अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, किंतु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है.. योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और सरकार को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता जब तक सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) चयन सूची, उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि, जो आयोग की सहमति से छः माह की कालावधि के लिये बढ़ाई जायेगी, के लिए विधिमान्य रहेगी :

परन्तु ऐसी सूची अठारह मास की अवधि से अधिक के लिए विधिमान्य नहीं रहेगी.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लेखित सदस्य होंगे :

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामनिर्देशित किए गए अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी.

(2) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया पदोन्नति में आरक्षण एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

(3) समिति, पदोन्नति के मामलों में विचार के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी. जैसे जनवरी-फरवरी और अगस्त-सितम्बर.

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**—अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लेखित सेवाओं के सदस्यों अथवा शासन द्वारा उसके तत्समय घोषित किये गये पद अथवा पदों पर काम करने वाले समस्त व्यक्तियों (जो स्थानापन्न या स्थायी हो) के प्रकरणों पर समिति विचार करेगी :

परन्तु प्रतिबंध यह है, कि समिति ऐसे यंत्री/सहायक यंत्री/उपयंत्री/मुख्य मानचित्रकार एवं मानचित्रकार के प्रकरणों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी माह के प्रथम दिन को निम्न दर्शाये अनुसार अगली उच्च पदोन्नति के लिये, (सेवा में स्थानापन्न अथवा मूल पद पर) निम्नानुसार सेवा पूर्ण की हो —

- (1) सहायक यंत्री के पद के लिये अर्हकारी सेवा—उपयंत्री (डिप्लोमाधारी)/ प्रमुख मानचित्रकार/मानचित्रकार के पद पर कम से कम 12 वर्ष की सेवा तथा डिग्रीधारी उपयंत्री के लिये कम से कम 8 वर्ष की सेवा.
- (2) कार्यपालन यंत्री के पद के लिये अर्हकारी सेवा सहायक यंत्री के पद पर कम से कम 6 वर्ष की सेवा हो.
- (3) अधीक्षण यंत्री के पद के लिये अर्हकारी सेवा कार्यपालन यंत्री के पद पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा.

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हों. यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. उक्त कालावधि के दौरान उद्भूत होने वाली अनापेक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिए एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी. जिसमें दो लोक सेवकों के नाम अथवा उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों के नाम, जो भी अधिक हो, सम्मिलित होंगे.

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अनुसार होंगे.

(3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे. जब कभी योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाना हो, चयन सूची मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार तैयार की जायेगी.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा.

(5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान यह प्रस्तावित किया जाए कि उपयंत्री मुख्य मानचित्रकार, मानचित्रकार अथवा मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग अभियांत्रिकी, राजपत्रित सेवा की श्रेणी के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

16. **आयोग से परामर्श.**—विभागीय पदोन्नति समिति की जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की गई, सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श की अपेक्षा के अनुपालन में की गई है तथा आयोग से पृथक् से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा.

17. **चयन सूची.**—(1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची उपयंत्रि, मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार की, मध्यप्रदेश लोक निर्माण अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा अथवा उससे उच्चतम श्रेणी में, जैसी भी स्थिति हो, पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची सामान्यतया, तब तक लागू रहेगी जब तक कि नियम 16 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किया जाए :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के निदेश पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों.

(2) साधारणतया उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त ठहराती हो.

19. **परिवीक्षा.**—प्रारंभिक तौर पर सेवा में प्रत्येक सीधी भर्ती (नियुक्ति) दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी. यदि उसका कार्य असंतोषजनक पाया जाए तो परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी और अभ्यर्थी को अस्थायी कर्मचारी समझा जाएगा. परिवीक्षा अवधि के अवसान के पश्चात् ही उसे स्थायी किया जाएगा और तभी वह नियमित वेतनमान का हकदार होगा.

20. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु मामला, ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में बनाये गये नियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी तथा उनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव शर्मा, उपसचिव.

## अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

## सेवा में सम्मिलित पदों का वर्गीकरण, वेतनमान तथा पदों की संख्या

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
<b>अ. कर्तव्य पद—</b>				
1	जिले के कार्यपालन यंत्री (सिविल)	120	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
2	सहायक यंत्री (सिविल)	338	द्वितीय श्रेणी	रुपये 15600—39100+5400 ग्रेड वेतन
3	कार्यपालन यंत्री (वि/यां)	8	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
4.	सहायक यंत्री (वि./यां)	99	द्वितीय श्रेणी	रुपये 15600—39100+5400 ग्रेड वेतन
<b>आ. कर्तव्य पद ( जिला पदों के अतिरिक्त )</b>				
1	प्रमुख अभियंता	2	प्रथम श्रेणी	रुपये 37400—67000+10000 ग्रेड वेतन
2	मुख्य अभियंता (सिविल)	16	प्रथम श्रेणी	रुपये 37400—67000+8900 ग्रेड वेतन
3	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	36	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+7600 ग्रेड वेतन
4	अनुसंधान अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
5	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	35	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
6	सहायक यंत्री (सिविल)	127	द्वितीय श्रेणी	रुपये 15600—39100+5400 ग्रेड वेतन
7	प्रशासकीय अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	रुपये 15600—39100+5400 ग्रेड वेतन
8	सहायक अनुसंधान अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	रुपये 15600—39100+5400 ग्रेड वेतन
9	संयुक्त संचालक (वित्त)	2	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+7600 ग्रेड वेतन
10	लेखाधिकारी	130	द्वितीय श्रेणी	रुपये 15600—39100+5400 ग्रेड वेतन
11	वरिष्ठ परियोजना लेखा अधिकारी	5	द्वितीय श्रेणी	रुपये 15600—39100+5400 ग्रेड वेतन
12	सांख्यिकी अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	रुपये 15600—39100+5400 ग्रेड वेतन
13	अधीक्षण यंत्री (वि/यां)	3	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+7600 ग्रेड वेतन
14	कार्यपालन यंत्री (वि/यां)	6	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
15	सहायक यंत्री (वि/यां)	9	द्वितीय श्रेणी	रुपये 15600—39100+5400 ग्रेड वेतन
<b>इ. अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर</b>				
1	प्रमुख अभियंता	3	प्रथम श्रेणी	रुपये 37400—67000+10000 ग्रेड वेतन
2	मुख्य अभियंता	7	प्रथम श्रेणी	रुपये 37400—67000+89000 ग्रेड वेतन
3	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	22	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+7600 ग्रेड वेतन
4	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	45	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
5	सहायक यंत्री (सिविल)	75	द्वितीय श्रेणी	रुपये 15600—39100+5400 ग्रेड वेतन
<b>ई. वास्तुविद पद, कर्तव्य पद ( जिला पदों के अतिरिक्त )</b>				
1	मुख्य वास्तुविद	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 37400—67000+8900 ग्रेड वेतन
2	वरिष्ठ वास्तुविद	2	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+7600 ग्रेड वेतन
3	वास्तुविद	2	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
4	सहायक वास्तुविद	5	द्वितीय श्रेणी	रुपये 15600—39100+5400 ग्रेड वेतन



अनुसूची—दो  
(नियम 6 देखिए)

भरती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग अभियांत्रिकी/वास्तुकला (राजपत्रित) सेवा से भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			अभियुक्तियां
			सीधी भर्ती [नियम 6(क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से अधिकारी के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [नियम 6(ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लोक निर्माण विभाग.	प्रमुख अभियंता	2	-	100 प्रतिशत	-	-
	मुख्य अभियंता (सिविल)	16	-	100 प्रतिशत	-	-
	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	36	-	100 प्रतिशत	-	-
	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	155	-	100 प्रतिशत	-	-
	सहायक यंत्री (सिविल)	465	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	1. 33 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा उन उपयंत्रियों में से जो सिविल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधिकारक हैं. 2. 13 प्रतिशत उन उपयंत्रियों में से जो सिविल इंजीनियरिंग उपाधि धारक हैं. 3. 04 प्रतिशत मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार संवर्ग से पदोन्नति द्वारा.
	अधीक्षण यंत्री (वि/यां)	3	-	100 प्रतिशत	-	-
	कार्यपालन यंत्री (वि/यां)	14	-	100 प्रतिशत	-	-
	सहायक यंत्री (वि/यां)	108	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	1. 33 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा उन उपयंत्रियों में से जो सिविल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधिकारक हैं. 2. 13 प्रतिशत उन उपयंत्रियों में से जो सिविल इंजीनियरिंग उपाधि धारक हैं. 3. 04 प्रतिशत मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार की पदोन्नति द्वारा.
	प्रशासकीय अधिकारी	1	-	100 प्रतिशत	-	-
	अनुसंधान अधिकारी	1	-	100 प्रतिशत	-	-
सहायक अनुसंधान अधिकारी	1	-	100 प्रतिशत	-	-	
संयुक्त संचालक (वित्त)	1	-	-	100 प्रतिशत	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्त पर.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	लेखा अधिकारी	130	-	-	100 प्रतिशत	वित्त विभाग/महालेखाकार, मध्यप्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर.
	वरिष्ठ परियोजना लेखा अधिकारी.	5	-	-	100 प्रतिशत	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति पर.
	सांख्यिकी अधिकारी	1	-	-	100 प्रतिशत	सांख्यिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर.
	मुख्य वास्तुविद	1	-	100 प्रतिशत	-	मुख्य वास्तुविद, वरिष्ठ
	वरिष्ठ वास्तुविद	2	-	100 प्रतिशत	-	वास्तुविद, वास्तुविद एवं
	वास्तुविद	2	-	100 प्रतिशत	-	सहायक वास्तुविद के पद
	सहायक वास्तुविद	5	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	पर पदोन्नति के लिये वे ही अधिकारी पात्र होंगे जो कि आर्किटेक्ट एक्ट, 1972 के अन्तर्गत पंजीकृत वास्तुविद हों.

## अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिए)

## सीधी भर्ती के लिए आयु तथा शैक्षणिक अर्हता

पद का नाम (1)	न्यूनतम आयु सीमा (2)	अधिकतम आयु सीमा (3)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (4)	अभ्युक्तियां (5)
सहायक यंत्री (सिविल)	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता. उदाहरणार्थ—ए. एम. आई. ई.	
सहायक यंत्री (वि/यां)	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि (बी. ई. या बी. टेक) या उसके समकक्ष अर्हता उदाहरणार्थ— ए. एम. आई. ई.	
मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग अभियांत्रिकी/वास्तुकला (राजपत्रित)सेवा—द्वितीय वर्ग	21 वर्ष	40 वर्ष	भारत शासन/राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की उपाधि या अन्य पाठ्यक्रम जिसे भारत शासन/राज्य शासन द्वारा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की उपाधि के समकक्ष मान्य किया गया हो एवं आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के अन्तर्गत पंजीकृत वास्तुविद.	

अनुसूची—चार  
(नियम 13 देखिए)

पदोन्नति हेतु न्यूनतम अनुभव एवं विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम

अनु- क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिये अर्हता हेतु न्यूनतम अवधि	उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जाएगी.	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुख्य अभियंता (सिविल)	5 वर्ष	प्रमुख अभियंता	1. मुख्य सचिव—अध्यक्ष 2. वरिष्ठ सचिव—सदस्य 3. प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण विभाग —सदस्य 4. उप सचिव/अवर सचिव, लोक निर्माण विभाग —सचिव 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.
2	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	5 वर्ष	मुख्य अभियंता (सिविल)	—तदैव—
3	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	5 वर्ष	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य —अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग —सदस्य 3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग —सदस्य 4. उपसचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण (स्थापना से संबंधित) —संयोजक 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य —सदस्य
4	सहायक यंत्री (सिविल)	6 वर्ष	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	—तदैव—
5	उपयंत्री (सिविल)(डिग्रीधारी)	8 वर्ष	सहायक यंत्री (सिविल)	—तदैव—
6	उपयंत्री (सिविल)(डिप्लोमाधारी)	12 वर्ष	सहायक यंत्री (सिविल)	—तदैव—
7	मानचित्रकार (सिविल)/मुख्य मानचित्रकार (सिविल)	12 वर्ष	सहायक यंत्री (सिविल)	—तदैव—
8	कार्यपालन यंत्री (वि/यां)	5 वर्ष	अधीक्षण यंत्री (वि/यां)	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा मनोनित सदस्य —अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग —सदस्य 3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग —सदस्य 4. उपसचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (स्थापना से संबंधित) —संयोजक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य —सदस्य
9	सहायक यंत्री (वि/यां)	6 वर्ष	कार्यपालन यंत्री (वि/यां)	—तदैव—
10	उपयंत्री (वि/यां)(डिग्रीधारी)	8 वर्ष	सहायक यंत्री (वि/यां)	—तदैव—
11	उपयंत्री (वि/यां) डिप्लोमाधारी	12 वर्ष	सहायक यंत्री (वि/यां)	—तदैव—
12	मानचित्रकार (वि/यां)/मुख्य मानचित्रकार (वि/यां)	12 वर्ष	सहायक यंत्री (वि/यां)	—तदैव—
13	परिक्षेत्रीय अधीक्षक	3 वर्ष	प्रशासकीय अधिकारी	—तदैव—
14	सहायक अनुसंधान अधिकारी	6 वर्ष	अनुसंधान अधिकारी	—तदैव—
15	अनुसंधान सहायक	12 वर्ष	सहायक अनुसंधान अधिकारी	—तदैव—
16	वरिष्ठ वास्तुविद	5 वर्ष	मुख्य वास्तुविद	1. मुख्य सचिव —अध्यक्ष 2. वरिष्ठतम सचिव —सदस्य 3. प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण विभाग —सदस्य 4. उपसचिव/अवर सचिव, लोक निर्माण विभाग. —सचिव
17	वास्तुविद	5 वर्ष	5. अनुसूचित वरिष्ठ वास्तुविद जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग की एक नामनिर्दिष्ट सदस्य —सदस्य.	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा इनके द्वारा मनोनीत सदस्य —अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग —सदस्य 3. प्रमुख अभियंता लोनिवि —सदस्य 4. उपसचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (स्थापना से संबंधित) —संयोजक
18	सहायक वास्तुविद	6 वर्ष	वास्तुविद	—तदैव—
19	मानचित्रकार/मुख्य मानचित्रकार	8 वर्ष	सहायक वास्तुविद	—तदैव—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2015

क्र. एफ 1-37-2011-स्था-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अन्तर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-37-2011-स्था-उन्नीस, दिनांक 4 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 4<sup>th</sup> April 2015

No. F-1-37-2011-Estt.-XIX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes, the following rules relating to the recruitment and conditions of Service of the members of the Madhya Pradesh Public Works Department Engineering and Architecture (Gazetted) Service, namely:—

### RULES

1. **Short title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Public Works Engineering and Architecture (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2015

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires :—

- (a) “Appointing Authority” means the State Government in respect of service;
- (b) “Commission” means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) “Government” means the Government of Madhya Pradesh;
- (d) “Governor” means the Governor of Madhya Pradesh;
- (e) “Other Backward Classes” means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government *vide* notification No. F-8-5/XXV/4/84 dated 26<sup>th</sup> December, 1984, as amended from time to time;
- (f) “Schedule” means the Schedule appended to these rules;
- (g) “Scheduled Castes” means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (h) “Scheduled Tribes” means any tribe or tribal community of part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (i) “Service” means the Madhya Pradesh Public Works Department, Engineering and Architecture (Gazetted) Service;
- (j) “State” means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

- (1) Persons appointed substantively on the post mentioned in the Schedule-I at the time of commencement of these rules;
- (2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules;
- (3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.** – The classification of the service, scale of pay attached thereto and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions made in the Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service, either on a permanent basis or temporary basis.

**6. Method of Recruitment.**— (1) Recruitment to the service after commencement of these rules, shall be made by one the following Methods, namely :—

- (a) by direct recruitment through Public Service Commission or interview or by both;
- (b) by promotion of the members of the Service specified in column (2) of Schedule-IV;
- (c) by transfer or deputation of such persons who holds such posts in sustentative or officiating capacity in such services, as may be specified by the State Government in this behalf;

(2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage specified in Schedule-II of the number of posts specified in Schedule-I.

(3) subject to the provisions of these rules, the method of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion, by the Appointing Authority in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the Service so requires, the Government may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such other methods of recruitment to the service other than those specified in sub-rule (3) as it may by order in this behalf prescribed.

**7. Appointment to the Service.**— All the appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by the method of recruitment specified in rule-6.

**8. Conditions of eligibility for direct recruitment.**—In order to be eligible for selection/examination a candidate must fulfill the following conditions, namely:—

- (1) **Age.**—
  - (a) The minimum and upper age limits shall be in accordance with the notifications issued by the General Administration Department, from time to time. The date of calculation of age shall be the 1<sup>st</sup> January next following the date of issuance of advertisement.
  - (b) The upper age limit shall be relaxable to following categories namely :—
    - (i) Relaxation shall be admissible to the employees who are working in the Government, Corporation, Board, Autonomous Institution, Project Implementation Committee, contingency paid employees and work charged employees, in accordance with the circulars issued by the General Administration Department, in this behalf from time to time.
    - (ii) Relaxation shall be admissible to the applicants of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who are domicile of the State in accordance with the provisions of rule 8 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vaargon Ke Liye Aarakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the circulars issued by the General Administration Department in this behalf from time to time.
    - (iii) Relaxation shall be admissible to the women candidates who are domicile of the State in accordance with Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for the Appointment of Women) Rules, 1997.
    - (iv) Relaxation shall be admissible to the following categories in accordance with circulars issued by General Administration Department from time to time.
      - a. Widow/destitute/divorced woman;
      - b. Physically handicapped.

- c. Green Card holder under the Family Welfare Programme;
- d. Vikram Award holder;
- e. Superior Caste partner of a couple awarded under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme;
- f. Such other categories as may be determined by the General Administration Department.

**Note.**—(1) In no case, including all relaxation, the upper age limit for any particular category shall exceed the maximum age limit of 45 years fixed by the General Administration Department.

(2) The calculation of maximum age limit shall be made in accordance with the circular No. C-3-11/12/1/3 dated 3-11-2012 and 20-11-2012.

(2) **Education Qualifications.**—The candidate shall possess the educational qualifications prescribed for the Service as shown in Schedule-III:

Provided that,—

- (a) in exceptional cases the Commission, in consultation with the Government, may treat a candidate as qualified, who though not possess any of the qualifications prescribed but has passed the examination conducted by other Institutions/Universities by such standards which in the opinion of the Commission are right to consider the candidate eligible for examination/selection.
- (b) the Commission on its own discretion may consider such candidate for selection who is eligible otherwise, but who has obtained degrees from such foreign universities which are not specifically recognized by the Government.

(3) **Fees.**—The candidates shall pay the fees prescribed by the Commission.

(4) **Reservation.**—

- (a) Reservation for the candidates Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes:—
  - (i) There shall be posts kept reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vaargon Ke Liye Aarakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the orders issued by the State Government from time to time.
  - (ii) Reservation for women candidates shall be admissible accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for the Appointment of Women) Rules, 1997, at the stage of direct recruitment 30 percent posts shall be kept reserved for the women candidates, such reservation shall remain horizontal and compartment-wise.
  - (iii) Reservation for the disabled persons shall be provided in accordance with the rules prevailing in this behalf.

9. **Disqualification.**—(1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission as his to disqualify him appearing in the examination/selection.

(2) A candidate who is married before attaining the minimum age prescribed for marriage shall not be eligible for appointment to any post.

(3) A candidate shall not be eligible for appointment to the service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26th January 2001:

Provided that no candidate shall be qualified for appointment to a service or post who has already one living child and the next delivery takes place on or after 26<sup>th</sup> January 2001 in which two or more children are born.

(4) A person who has been convicted for any offence against women shall not be eligible for appointment:

Provided that where such cases are pending against in a court, then his appointment shall be kept pending till the final decision of the court.

**10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.**— The decision of the Commission as to the eligibility of a candidate for selection/admission to the examination, shall be final and no candidate, to whom certificate of admission has not been issued by the Commission shall be allowed to appear in the interview/examination.

**11. Direct Recruitment.**—Direct Recruitment through Competitive Examination/ Interview or both.—

- (1) Competitive examination for recruitment to the Service shall be held at such intervals as the Government, in consultation with the Commission, determines from time to time.
- (2) The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as the Government may issue, from time to time, in consultation with the Commission.
- (3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vaargon Ke Liye Aarakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the Government, from time to time.
- (4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes shall be considered for appointment in the order, in which their names appear in the list referred to rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to maintain of efficiency in the Service, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.
- (6) There shall be reserved posts for the women candidates in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (7) There shall be reserved posts for the disabled candidates in accordance with the directions of General Administration Department.
- (8) There shall be reserved posts for the Ex-Servicemen in accordance with the direction of General Administration Department.
- (9) If a sufficient number of candidates are not available to fill the vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the remaining vacancies shall not be filled by other categories of candidates without prior permission of the State Government and these vacancies shall be kept vacant for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and shall not be considered unreserved in any manner to fill them with other than the person of those classes for which the post or posts are kept reserve.

**12. List of candidates recommended by the Commission.**— (1) The Commission shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine and a list of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for the information of general public.

(2) Subject to the provision of these rules and the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies, in the order, in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list merely, confers him no right to the appointment, unless the Government, after such inquiry, as may be considered necessary, is satisfied that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.



(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of its issuance, which shall be extended for the period of 6 months with the consent of the commission:

Provided that such list shall not be valid for more than a period of eighteen months.

**13. Appointment by promotion.**—(1) There shall be constituted a Departmental Promotion Committee for making selection of the candidates eligible for promotion in which there shall be members mentioned in Schedule-IV:

Provided that if any of the nominating members other than the member presiding over the Departmental Promotion Committee/Screening Committee in respect to the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Schedule Tribes, then a member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the Promotion/Screening Committee and the number of that Members of Promotion/Screening Committee shall be extended to the limit.

(2) For the promotion of members of the Service specified in Schedule-IV of a candidate selection process, reservation in promotion and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) The Committee shall meet twice in every year in accordance with the circular of General Administration Department, that is in the month of January-February and August-September to consider the case for promotion.

**14. Conditions of eligibility for promotion.**—The Committee shall consider upon the cases of all the persons of the Services mentioned in column (2) of Schedule-IV or working on the post (whether as officiating or permanent) declared for the time being by the Government.

Provided that the restriction is that the committee shall consider upon the cases of such Engineers/Assistant Engineers/Sub-Engineers/Head Draftsman and Draftsman who, on the First day of January of that year had completed the service as follows for next higher promotion (officiating or substantive in the Post or Service).—

- (1) Qualifying Service for the post of Assistant Engineer is minimum 12 years' service on the post of Sub-Engineer (Diploma holder)/Head Draftsman/Draftsman and minimum 8 years service for degree holder-Sub-Engineer.
- (2) Qualifying Service for the post of Executive Engineer is Minimum 6 years service on the post of Assistant Engineer.
- (3) Qualifying Service for the post of Superintending Engineer is Minimum 5 years service on the post of Executive Engineer.

**15. Preparation of the list of suitable candidates.**—(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who fulfill the conditions prescribed in rule 14 and are held suitable by the Committee to be suitable for promotion to the higher post according to the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Promotion) Rules, 2002. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the said period, in which name of two public servants or 25 percent of number of persons, whichever is more, is included.

(2) The criteria for preparing the select list shall be in accordance with Madhya Pradesh Civil Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) At the time of preparation of each select list the names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the Service as specified in column (2) of Schedule-IV. Whenever the promotion is to be made on the basis of merit-cum-seniority the select list shall be prepared as per the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Promotion) Rules, 2002.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the cadre of Sub-Engineer, Head Draftsman/Draftsman or of the Madhya Pradesh Public Works Engineering (Gazetted) Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

**16. Consultation with the Commission.**—Regarding the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, which has been presided over by the President or Member of the Commission, it shall be construed that they are made in compliance of the requirements of consultation with the Commission under sub-clause (b) or clause (3) of Article 320 of the Constitution of India and hence any separate consultation with the Commission shall not be necessary.

**17. Select List.**—(1) The list finally approved by the Government shall be the select list for the promotion of Sub-Engineer or Head Draftsman of the Madhya Pradesh Public Works Department Engineering (Gazetted) Service and to the rank higher than that post as the case may be.

(2) The select list shall be applicable until it is not reviewed or revised in accordance with sub rule (4) of rule 15";

Provided that in case of serious lapse on the part of any person included in the select list in performance of duty, the select list may be reviewed on the direction of the Government and if the Commission thinks it fit, may remove the name of such person from the select list.

**18. Appointment to the services from the Select list.**—(1) Appointment of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the name of such persons appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult Commission before the appointment of that person in the Service whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the Service.

**19. Probation.**—Every person directly recruited to any cadre of Service shall be appointed on probation for a period of two year. If the work is found to be unsatisfactory, period of probation shall be extended for two years more and the candidate shall be treated as a temporary employee. He shall be made permanent only after the expiry of probation period and then only he shall be entitled for regular pay scale.

**20. Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules the it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

**21. Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such a manner, as may appear to him, to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

**22. Saving.**—Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the rules made or orders issued by the State Government, from time to time.

**23. Repeal.**—All the rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matter's covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJEEV SHARMA, Dy. Secy.

## SCHEDULE-I

(See rule 5)

## Classification, scale of pay and number of posts included in the service

S. No.	Name of the Post include in the Service	No. of Posts	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A-Duty Posts</b>				
1.	Executive Engineer (Civil) of the District.	120	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
2	Assistant Engineer (Civil)	338	Class-II	Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay
3	Executive Engineer (E/M)	8	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
4	Assistant Engineer (E/M)	99	Class-II	Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay
<b>B-Duty Post (Other than District)</b>				
1	Engineer-in-Chief	2	Class-I	Rs. 37400—67000+10000 Grade Pay
2	Chief Engineer (Civil)	16	Class-I	Rs. 37400—67000+8900 Grade Pay
3	Superintending Engineer (Civil)	36	Class-I	Rs. 15600-39100+7600 Grade Pay
4	Research Officer	1	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
5	Executive Engineer (Civil)	35	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
6	Assistant Engineer (Civil)	127	Class-II	Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay
7	Administrative Officer	1	Class-II	Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay
8	Assistant Research Officer	1	Class-II	Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay
9	Joint Director (Finance)	2	Class-I	Rs. 15600-39100+7600 Grade Pay
10	Accounts Officer	130	Class-II	Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay
11	Sr. Project Accounts Officer	5	Class-II	Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay
12	Statistical Officer	1	Class II	Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay
13	Superintending Engineer (E&M)	3	Class-I	Rs. 15600-39100+7600 Grade Pay
14	Executive Engineer (E&M)	6	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
15	Assistant Engineer (E&M)	9	Class II	Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay
<b>C. On Deputation to other departments</b>				
1	Engineer-in-Chief	3	Class-I	Rs. 37400—67000+10000 Grade Pay
2	Chief Engineer (Civil)	7	Class-I	Rs. 37400—67000+8900 Grade Pay
3	Superintending Engineer (Civil)	22	Class-I	Rs. 15600-39100+7600 Grade Pay
4	Executive Engineer (Civil)	45	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
5	Assistant Engineer (Civil)	75	Class II	Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay
<b>D. Architect Posts, Duty Posts (other than district posts)</b>				
1	Chief Architect	1	Class-I	Rs. 37400—67000+8900 Grade Pay
2	Sr. Architect	2	Class-I	Rs. 15600-39100+7600 Grade Pay
3	Architect	2	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
4	Assistant Archiect	5	Class II	Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay

## SCHEDULE-II

(See rules 6)

## Mode of Recruitment

Name of the Department	Name of the Post included in the Service	Total Number of posts	Percentage of total Number of posts to be filled up			Remarks
			By Direct Recruitment [See Rule 6(a)]	By promotion [See Rule 6(b)]	By way of temporary transfer of Officer of other services [See Rule 6(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Public Works Department	Engineer-in-Chief	2	-	100%	-	-
	Chief Engineer (Civil)	16	-	100%	-	-
	Superintending Engineer (Civil)	36	-	100%	-	-
	Executive Engineer (Civil)	155	-	100%	-	-
	Assistant Engineer (Civil)	465	50%	50%	-	1. 33% by promotion of Sub-Engineers who Possesses Diploma in Civil Engineering. 2. 13% by promotion of Sub-Engineers who possesses Degree in Civil Engineering. 3. 4% by promotion of Head Draftsman/ Draftsman
	Superintending Engineer (E and M)	3	-	100%	-	-
	Executive Engineer (E and M)	14	-	100%	-	-
	Assistant Engineer (E and M)	108	50%	50%	-	1.. 33% by promotion of Sub-Engineers who possesses Diploma in Civil Engineering. 2. 13% by promotion of Sub-Engineers who possesses Degree in Civil Engineering. 3. 4% by promotion of Head Draftsman/ Draftsman
	Administrative Officer	1	-	100%	-	-
	Research Officer	1	-	100%	-	-
	Assistant Research Officer	1	-	100%	-	-
	Joint Director (Finance)	1	-	-	100%	On deputation from Finance Department.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Accounts Officer	130	-	-	100%	On deputation from Finance Department/ Accountant General, Madhya Pradesh.
	Senior Project Accounts Officer.	5	-	-	100%	On deputation from Finance Department.
	Statistical Officer	1	-	-	100%	On deputation from Statistical Department.
	Chief-Architect	1	-	100%	-	For promotion to the post
	Sr. Architect	2	-	100%	-	of Chief Architect,
	Architect	2	-	100%	-	Senior Architect,
	Assistant Architect	5	25%	75%	-	Architect and Assistant Architect only such officers shall be eligible who are registered as Architects under the Architect Act, 1972.

SCHEDULE-III  
(See rule 8)

**Age and Educational Qualification for Direct Recruitment**

Name of Post	Minimum Age	Maximum Age	Minimum Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Engineer (Civil)	21 years	40 years	Degree in Civil from any recognized Institution or equivalent for example A. M. I. E.	
Assistant Engineer (E and M)	21 years	40 years	Degree (B. E. or B. Tec) in Electrical Engineering from any recognized Institution or equivalent (Electrical or Electrical and Electronic Engineering) for example A.M.I.E.)	
Assistant Architect	21 years	40 years	Degree in Architecture from any Institution recognized by Govt. of India/Govt. of Madhya Pradesh or any other equivalent course so recognized by Government of India/Govt. of Madhya Pradesh and an Architect registered under Architect Act, 1972.	

## SCHEDULE-IV

(See rules 13)

**Minimum Experience for promotion and names of the members of promotion committee**

S. No.	Name of the Post from which the promotion is to be made	Minimum Experience/ qualification for promotion on the post as shown in column (2)	Name of the post on which promotion is to be made	Name of Members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Chief Engineer (Civil)	5 years	Engineer-in-Chief	1. Chief Secretary- <b>Charman</b> 2. Senior Secretary- <b>Member.</b> 3. Principal Secretary/Secretary Public Works Department <b>-Member.</b> 4. Deputy Secretary/Under Secretary Public Works Department- <b>Secretary.</b> 5. One nominated member of Scheduled Caste/Scheduled Tribe category.- <b>Member.</b>
2.	Superintending Engineer (Civil)	5 years	Chief Engineer (Civil)	-do-
3.	Executive Engineer (Civil)	5 years	Superintending Engineer (Civil)	1. Chairman of the Public Service Commission or nominated member by him. <b>-Charman</b> 2. Principal Secretary/Secretary Public Works Department <b>-Member.</b> 3. Engineer-in-Chief Public Works Department- <b>Member.</b> 4. Deputy Secretary/Under Secretary Public Works Department (dealing with Establishment)- <b>Co-ordinator.</b> 5. One nominated member of Scheduled Caste/Scheduled Tribe category.- <b>Member.</b>
4.	Assistant Engineer (Civil)	6 years	Executive Engineer (Civil)	-do-
5.	Sub-Engineer (Civil) Degree Holder.	8 years	Assistant Engineer (Civil)	-do-
6.	Sub-Engineer (Civil) Diploma Holder.	12 years	Assistant Engineer (Civil)	-do-
7.	Draftsman (Civil)/ Head Draftsman (Civil)	12 years	Assistant Engineer (Civil)	-do-
8.	Executive Engineer (E & M)	5 years	Superintending Engineer (E & M)	-do-
9.	Assistant Engineer (E & M)	6 years	Executive Engineer (E&M)	-do-
10	Sub-Engineer (E & M) Degree Holder	8 years	Assistant Engineer (E & M).	-do-
11	Sub-Engineer (E & M) Diploma Holder.	12 years	Assistant Engineer (E & M).	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Draftsman (E & M) / Head Draftsman (E & M)	12 years	Assistant Engineer (E & M)	1. Chairman of the Public Service Commission or nominated member by him. <b>-Charman</b> 2. Principal Secretary/Secretary Public Works Department <b>-Member.</b> 3. Engineer-in-Chief Public Works Department <b>-Member.</b> 4. Deputy Secretary/Under Secretary Public Works Department (dealing with Establishment)- <b>Co-ordinator.</b> 5. One nominated member of Scheduled Caste/Scheduled Tribe category.- <b>Member.</b>
13	Zonal Superintendent	3 years	Administrative Officer	-do-
14	Assistant Research Officer	6 years	Research Officer	-do-
15	Research Assistant	12 years	Assistant Research Officer	-do-
16	Senior Architect	5 years	Chief Architect	1. Chief Secretary- <b>Charman</b> 2. Senior Secretary- <b>Member.</b> 3. Principal Secretary/Secretary Public Works Department <b>-Member.</b> 4. Deputy Secretary/Under Secretary Public Works Department- <b>Secretary.</b> 5. One nominated member of Scheduled Caste/Scheduled Tribe category.- <b>Member.</b>
17	Architect	5 years	Senior Architect	1. Chairman of the Public Service Commission or nominated member by him. <b>-Charman</b> 2. Principal Secretary/Secretary Public Works Department <b>-Member.</b> 3. Engineer-in-Chief Public Works Department <b>-Member.</b> 4. Deputy Secretary/Under Secretary Public Works Department (dealing with Establishment)- <b>Co-ordinator.</b> 5. One nominated member of Scheduled Caste/Scheduled Tribe category.- <b>Member.</b>
18	Assistant Architect	6 years	Architect	-do-
19	Draftsman/Head Draftsman	8 years	Assistant Architect	-do-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh  
RAJEEV SHARMA, Dy. Secy.